इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

की कालिन्दीपुरम् एवं नैनी आवास योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक भूखण्ड प्राप्त करने का अंतिम

आवेदन/पंजीकरण तिथि :
26.11.2017 से 10.12.2017 तक

स्वर्णिम अवसर

नीलामी का सूचना पृथक से
समाचार पत्र के माध्यम से दी जायेगी

कालिन्दीपुरम् आवास योजना के व्यावसायिक सह आवासीय भूखण्डों का विवरण

क्र. स.	योजना का नाम	श्रेणी	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमी.)	भूखण्ड सं.	कुल भूखण्डों की सं.	न्यूनतम आरक्षित दर प्रति वर्ग मीटर (रु.)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रु.)	पंजीकरण धनराशि (रु.)
1.	कालिन्दीपुरम् आ.यो. (सेक्टर राधाकुण्ड)	ए	112.50	04 से 12, 16 से 19, 24 से 33	21	42,750/-	48,09,375/-	4,81,000/-
		बी	75	41, 42, 44 से 51, 61 से 69	18	39,000/-	29,25,000/-	2,92,500/-
2.	कालिन्दीपुरम् आ.यो. (सेक्टर गोकुल)	डी	75.00	02 से 23 एवं 25	23	42,750/-	32,06,250/-	3,21,000/-
		सी	86.20	42 से 53 तक	12	39,000/-	33,61,800/-	3,36,200/-

नैनी आवास योजना के व्यावसायिक भूखण्डों का विवरण

1.	नैनी आवास योजना व्यावसायिक भूखण्ड	व्यावसायिक	100.43 से 166.71 तक	CD1--CD9	9	52,000/-	52,22,360/- से 86,68,920/- तक	5,22,300/- से 8,67,000/- तक

नियम एवं शर्ते :-

1. भूखण्ड जहाँ है जैसे के आधार पर आवंटन किया जायेगा। 2. निविदा सह नीलामीदाता को पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट (सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय) फार्म के साथ संलग्न पंजीकरण अवधि के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। 3. निविदा आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में स्वहस्ताक्षरित नियम एवं शर्तों के साथ बन्द लिफाफे में भरकर सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय कक्ष में रखे टेण्डर बाक्स में निर्धारित तिथियों पर पूर्वाह्न 10.00 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे तक डाले जा सकते हैं, जिसको निविदा/नीलामी की निर्धारित तिथि पर नीलामी के उपरान्त खोला जायेगा। 4. भूखण्ड आवंटन हेतु पंजीकृत उच्चतम बोलीदाता को उच्चतम बोली (दर) के अनुसार कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि सक्षम स्तर से स्वीकृत होने के तत्काल बाद अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा, जिसमें जमा पंजीकरण धनराशि समायोजित हो जायेगी। 5. बोली में सफल व्यक्ति द्वारा बोली स्वीकृत होने के पश्चात एक सप्ताह में अवशेष धनराशि न जमा करने पर पंजीकरण शुल्क की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 6. अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अंदर 08 तिमाही किस्तों में ब्याज सहित जमा करना होगा। उक्त नियत समयावधि में सम्पूर्ण धनराशि जमा न करने पर पूर्व से जमा 25 प्रतिशत धनराशि जब्त करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। 7. आवंटित भूखण्ड का सम्पूर्ण मूल्य एक मुश्त भी जमा किया जा सकता है तथा भूखण्ड की रजिस्ट्री कराये जाने के उपरान्त ही कब्जा दिया जायेगा। 8. मौके पर भूखण्ड के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि होने पर तदनुसार ही धनराशि संशोधित की जायेगी। 9. आवंटी को भूमि मूल्य के अतिरिक्त नियमानुसार 12 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क एवं अन्य देय शुल्कों का भुगतान करना होगा। विक्रय-विलेख की समस्त व्यय, नगर निगम, जल संस्थान एवं अन्य विभागों के समस्त देयक आवंटी को वहन करना होगा। 10. आवंटित भूखण्ड का विकास एवं निर्माण प्राधिकरण से नियमानुसार भवन मानचित्र स्वीकृति कराकर ही करना होगा। 11. प्राधिकरण/शासन द्वारा समय-समय पर लागू समस्त नियमों का पालन करना होगा। 12. विवाद की स्थिति में मामले का निस्तारण इलाहाबाद जनपद न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा। 13. बोली प्रति वर्गमीटर न्यूनतम् आरक्षित दर के आधार पर की जायेगी और प्रत्येक बोली का न्यूनतम् अन्तर रु० 500.00 होगा। 14. नीलामी/निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद में निहित है। 15. अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण पुस्तिका में अंकित है। 16. अधिकतम पंजीकरण धनराशि जमा करने की दशा में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी भूखण्ड के लिये बोली बोल सकता है परन्तु एक पंजीकरण में एक ही भूखण्ड उच्चतम बोली के आधार पर आवंटित हो सकेगा। 17. आवंटन में शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू रहेगी, जिस हेतु आवेदक को शासनादेश के अनुसार आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 18. यदि किसी कारण से सम्पत्तियों के उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होता है, तो ऐसी स्थिति में आप द्वारा जमा पंजीकरण धनराशि नियमानुसार वापस कर दिया जायेगा। 19. पंजीकरण पुस्तिका निर्धारित शुल्क का नगद भुगतान पर किसी भी कार्य दिवस में इन्दिरा भवन के 7वें तल स्थित प्राधिकरण के जनसम्पर्क कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा एवं पूर्ण पंजीकरण फार्म कार्यालय में ही जमा किया जायेगा। 20. आवेदन-पुस्तिका एवं नियम तथा शर्तें प्राधिकरण की वेबसाईट www.adaallahabad.in पर भी उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।

(अजय कुमार अवस्थी)-सचिव

(भानु चन्द्र गोस्वामी)-उपाध्यक्ष

पत्रांक - 214/ज.स.अ./वि./प्रा./2017-18 दिनांक : 24.11.2017

अमर उजाला / हिन्दुस्तान
दि. 25/11/17